

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी



पत्रांक:- 1118 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर, 03, 2018.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय-

प्रस्ताव संख्या FP/UK/Road/12845/2015 कर्णप्रयाग-नैनीसैण के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर दिनांक 06.02.2017 को आर0ई0सी0 की बैठक में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 1482/12-1 दिनांक 25.10.2018.

महोदय,

उपयुक्त विषयक प्रकरण में वांछित आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा किया गया है जो निम्न प्रकार हैं:

क्र०सं०	आपत्ति	निराकरण
1.	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal.	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कॉपी के साथ वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड पौड़ी द्वारा पत्र सं० 2724/12-1 दिनांक 07.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, देहरादून को प्रेषित किया गया है। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं, जिसमें से वन भूमि में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों को छोड़कर विभिन्न प्रजाति के 140 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। टंकण की त्रुटि से नाप भूमि के कुल 9 वृक्ष भी सम्मिलित हो गये हैं, जिसे सही कर पार्ट II में यथा स्थान वन भूमि कुल 140 वृक्षों की सूची पुनः संशोधित कर दी गई है। संलग्न-पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छा प्रति।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(जी०के०रस्तोगी)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

।। कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ।।

पत्रांक 1462 /12-1

दिनांक, गोपेश्वर, अक्टूबर 25 /2018

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड,
इन्दिरानगर, फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून।

विषय:- जनपद चमोली में कर्णप्रयाग-नैनीताल के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के वन भूमि प्रस्ताव पर दिनांक 06.02.2017 को आर0ई0सी0 की बैठक में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में। **संलग्न**


संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर के पत्रांक 1610/1सी0 (वन) दिनांक 12/10/2018 **(संलग्न)**

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग थराली के उपरोक्त संदर्भित पत्र से कर्णप्रयाग-नैनीताल के कण्डारा से केदारकोट मोटर मार्ग के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव की 02 प्रतियां (संलग्न) इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसे 02 प्रतियों में संलग्न कर यथोचित कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

क्र०सं०	आपत्ति	उत्तर
1	State Govt. may submit the original copies of the important documents as well as the documents revised afterwards to be placed in hard copy of the proposal	समस्त संशोधित प्रपत्र मूल कापी के साथ वन संरक्षक गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पीडी की पत्र सं० 2724/12-1 दिनांक 7.03.2018 द्वारा अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण देहरादून को प्रेषित। उक्त प्रस्तावित वन भूमि में कुल 234 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं जिसमें से वन भूमि में 0-10 व्यास वर्ग के वृक्षों को छोड़कर विभिन्न प्रजाति के 140 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। टंकण की वृष्टि से नाप भूमि के कुल 9 वृक्ष भी सम्मिलित हो गये, जिसे सही कर पार्ट 11 में यथास्थान वन भूमि में कुल 140 वृक्षों की सूची पुनः संशोधित कर दिया गया है। संलग्न- पत्र एवं पत्र प्राप्ति रसीद की छाया प्रति।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (प्रस्ताव की 02 प्रतियां)

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, अस्थाई खण्ड लोक निर्माण विभाग गौचर को आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि प्रस्ताव की 02 प्रति इस कार्यालय से प्राप्त कर अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में जमा करने का कष्ट करें।

प्राप्त
अधि. प्रमुख
25/10/18
प्रति 4112 क्रमा.

ok

(एन०एन०पाण्डेय)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।